पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

प्रस्तुति दिनांक08 / 01 / 2016

रा.रा.माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

केम्प इन्दौर (म.प्र.) के समक्ष

R-354-PBR/16

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री जगदीश चौहान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.01.201
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

19/08.01.2016

आचार्य ज्ञान आयुर्वेदिक फाउण्डेशन तर्फे अध्यक्ष
श्री डॉ. ज्ञानचंद जैन पिता श्री खुन्नीलालजी जैन
निवासी– 278, जवाहार मार्ग, इन्दौर म.प्र. ——रिव्हीजनकर्ता / प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर इन्दौर
प्रशासनिक संकुल मोतीतबेला, इन्दौर म.प्र. ——प्रत्यर्थी / प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के तहत् अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर इन्दौर के द्वारा पारित आलौच्य सीमांकन आदेश क्रमांक 3789 इन्दौर दिनांक 12/12/2012 को निरस्त करने के बाबद्।

रिव्हीजनकर्ता / प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :–

रिव्हीजनकर्ता / प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 162 / 1 / 1 रकबा 0.951 हे. ग्राम तलावली चांदा प.ह.न. 18 तहसील इन्दौर स्थित है, जिस पर एक मकान पक्का भूमि क्रय दिनांक 27 / 01 / 05 रजिस्ट्री दिनांक के पूर्व का बना हुआ है। कलेक्टर इन्दौर द्वारा आलोच्य,

19.1.16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 354 –पीबीआर/2016 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20--01–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः आवेदक की ओर से डिप्टी कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–12–2012 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 8–1–16 को लगभग 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त उक्त आदेश से डिप्टी कलेक्टर द्वारा केवल सीमांकन हेतु सीमांकन दल का गठन किया गया है जो कि सीमांकन कार्यवाही की प्रारंम्भिक स्टेज है, अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से एवं प्रिमैच्योर प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	